

COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-II, JAMUI
Session Trial case no.-19A/2016

07.04.2026

वाद के दो अभियुक्त 1. बीशु कुमार एवं 2. कमलेश मांझी अनुपस्थित है। अभियोजन की ओर से कोई साक्षी की हाजरी नहीं है। वाद पुकारा गया। अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वाद के दो अभियुक्त 1. बीशु कुमार एवं 2. कमलेश मांझी अनुपस्थित है। अभियोजन को अभि० के अनुपस्थित रहने की स्थिति में साक्ष्य अगर कोई हो तो प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था परंतु अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्ष्य बंद किया जाता है। उक्त अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा 82 एवं 83 द्र.प्र.स. का अधिपत्र निर्गत है। उक्त अभियुक्त गण इस वाद में उप० नहीं हो रहे हैं और न ही निकट भविष्य में उप० होने की कोई संभावना है।

अतएव अभियुक्त 1. बीशु कुमार एवं 2. कमलेश मांझी को **फरार** घोषित किया जाता है।

कार्यालय अभियुक्त 1. बीशु कुमार एवं 2. कमलेश मांझी के विरुद्ध स्थायी अधिपत्र निर्गत करें। कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में इस शर्त के साथ जमा करे कि इस अभिलेख को विनष्ट नहीं किया जाय।

लेखापित

DASJ II